

मूल्यांकन सूची  
कार्यालय उपनिबन्धक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ  
उप जिला – वाराणसी  
जिला – वाराणसी

कार्यालय उपनिबन्धक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तहसील सदर वाराणसी, जनपद वाराणसी में अकृषिक, कृषि, विकासशील, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक भूमि, भूखण्ड, भवन, वृक्ष एवं भट्टे की मिट्टी के मूल्यांकन एवं स्टॉम्प शुल्क की अदायगी हेतु उत्तर प्रदेश स्टॉम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के नियम-4 (1) के अन्तर्गत परगनावार एवं वार्डवार निम्न दरें दिनांक 2010 से प्रभावी होगी।

क्षेत्राधिकार कार्यालय उपनिबन्धक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सदर, वाराणसी के अधीन आने वाले क्षेत्रों का सीमांकन :

1. नगरीय क्षेत्र	नगरीय क्षेत्र का तात्पर्य नगर निगम वाराणसी की सीमा के अन्तर्गत आने वाले समस्त वार्ड, मोहल्ले एवं राजस्व ग्रामों से है।
2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र	<p>अर्द्धनगरीय क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है :</p> <p>क) जो नगरीय क्षेत्र से भिन्न, उत्तर प्रदेश योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-3 के अन्तर्गत विकास क्षेत्र के अन्तर्गत घोषित हुआ हो।</p> <p>ख) नगरीय क्षेत्र से भिन्न, जहाँ आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 लागू हो।</p> <p>ग) नगरीय क्षेत्र की सीमा से 2 किलोमीटर तक का वह राजस्व ग्राम जो उपरोक्त 'क' एवं 'ख' में न आता हो।</p> <p>घ) जो यूनाइटेड प्राविन्सिस म्यूनिसिपलिटीज एक्ट 1916 के अन्तर्गत ट्रांजीशनल क्षेत्र में आता हो।</p>
3. ग्रामीण क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो नगरीय एवं अर्द्धनगरीय क्षेत्र में न आता हो।

### 3. नगरीय क्षेत्र :

क) नगरीय क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर व्यवसायिक/वाणिज्यिक/कार्यालय के निर्माण की मासिक किराये की दरें।

अ) निम्नलिखित सड़क/मार्ग पर व्यवसायिक निर्माण के मासिक किराये की दर 240/- रु0 प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित है :

1. कृष्णा धर्मशाला कैण्ट, से रथयात्रा चौराहा तक।
2. रथयात्रा चौराहा से, महमूरगंज पुलिस चौकी तक।
3. सिगरा चौराहे से आकाशवाणी के अन्तिम छोर तक।
4. रथयात्रा चौराहे से दशाश्वमेघ घाट तक।
5. सिगरा चौराहे से सिद्धगिरीबाग होते हुए नई सड़क चौराहे तक।
6. अन्धरापुल से आजाद पार्क लहुराबीर।
7. आजाद पार्क लहुराबीर से गौदौलिया गिरजाघर चौराहा तक।
8. इंग्लिशिया लाईन चौराहे से लहुराबीर आजाद पार्क तक।
9. तेलियाबाग तिराहे से साजन सिनेमा हाल तक।
10. लक्सा थाने से औरंगाबाद पुलिस चौकी तक।
11. गिरजाघर चौराहे से कोदई चौकी होते हुए नई सड़क मुख्य मार्ग के मिलन बिन्दु तक।
12. आजाद पार्क लहुराबीर से कबीरचौरा से लोहटिया तिराहे तक।
13. भारत सेवा आश्रम से सोनिया रोड पानी टंकी तक।
14. जगतगंज चौराहे से रामकटोरा होते हुए पिपलानी कटरा तिराहे तक।
15. चेतक होटल कैण्ट से सुभाष नगर होते हुए मलदहिया लोहा मंडी के अन्तिम छोर तक।
16. गौदौलिया गिरजाघर चौराहा से भेलूपुर थाना तक।
17. मैदागिन चौराहे से हनुमान मन्दिर से चौक-गौदौलिया चौराहा होते हुए सोनारपुरा चौराहा तक।

आ) निम्नलिखित सड़क/मार्ग पर स्थित व्यवसायिक निर्माण का मासिक किराया 230/- ₹0 प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित किया जाता है।

1. मैदागिन चौराहे से विशेश्वरगंज एवं जमुना टाकीज होते हुए गोलगड्डा तिराहे तक।
2. कबीरचौरा अस्पताल से बेनियाबाग तिराहा तक।
3. मैदागिन चौराहा से विशेश्वरगंज होते हुए मच्छोदरी पार्क तक।
4. सोनारपुरा चौराहे से सन्त रविदास गेट होते हुए बी एच यू गेट तक।
5. बी एच यू गेट से सुन्दरपुर होते हुए भिखारीपुर चौराहा तक।

इ) निम्नलिखित सड़क/मार्ग पर व्यवसायिक निर्माण के मासिक किराये की दर 170/- ₹0 प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित है :

1. गोलघर चौराहे से अर्दली बाजार होते हुए शिवपुर रेलवे कासिंग तक।
2. गोलघर चौराहे से पुलिस लाईन होते हुए चौकाघाट रोड़ के मिलन बिन्दु तक।
3. पाण्डेयपुर चौराहे से तेलियाबाग होते हुए चौरा माता मन्दिर तक।
4. कचहरी चौराहे से अर्दली बाजार तिराहा होते हुए महाबीर मन्दिर तक।
5. नदेसर चौराहे से घौसाबाद मुख्य मार्ग के मिलन बिन्दु तक।
6. नदेसर चौराहा बड़ी मस्जिद से चौकाघाट पुल तक।
7. मलदहिया चौराहे से गंगा पैलेस होते हुए पितरकुण्डा पोखरे तक।
8. काशी विश्वनाथ मन्दिर के मुख्य द्वार से काशी विश्वनाथ मन्दिर तक (विश्वनाथ गली)
9. कन्हैया चित्र मन्दिर से दशाश्वमेघ थाने तक।
10. कन्हैया चित्र मन्दिर के ठीक सामने की गली से केशरी रेस्टोरेन्ट से होते हुए दशाश्वमेघ मुख्य मार्ग तक।
11. घंटी मिल बैंक कालोनी से होते हुए सनबीम स्कूल लहरतारा के मुख्य मार्ग तक।
12. चेतगंज चौराहे से जियापुरा होते हुए सिगरा थाना तक।
13. पाण्डेयपुर चौराहे से महाबीर मन्दिर होते हुए शिवपुर बाईपास।
14. मिन्ट हाउस तिराहे से होटल इण्डिया होते हुए नदेसर बड़ी मस्जिद तक।

15. रथयात्रा चौराहे से (शोभनाथ धीरेन्द्र काम्प्लेक्स) से लक्ष्मी पैलेस होते हुए महमूरगंज पुलिस चौकी तक ।
16. संत रविदास स्मृति द्वार (लंका) से दयाल टावर शाकम्बरी काम्प्लेक्स विजया टाकीज होते हुए भेलूपुर थाने तक ।
17. भेलूपुर थाना चौराहे से एल0आई0सी0 आफिस होते हुए सोनारपुरा तिराहा तक ।
18. भेलूपुर थाना चौराहे से विजया नगरम काम्प्लेक्स काशीराज अपार्टमेन्ट होते हुए रथयात्रा चौराहा (शोभनाथ धीरेन्द्र काम्प्लेक्स) तक ।
19. पोल्ट्री फार्म से दुर्गा बालिका विद्यालय, लहरतारा जी0टी0 रोड होते हुए राजघाट पुल के प्रारम्भिक छोर तक ।
20. बी0एच0यू0 मुख्य गेट से संत रविदास द्वार तक ।
21. कचहरी गोलघर चौराहे से अंधरापुल तक ।
22. भोजूबीर तिराहे से अर्दली बाजार होते हुए चौकाघाट तिराहे तक ।
23. लोहटिया तिराहे से लक्ष्मण भण्डार होते हुए राधा चित्र मन्दिर तक ।
24. पाण्डेयपुर चौराहे से राय साहब का बाग होते हुए किसान सब्जी विक्रेता कल्याण समिति के कार्यालय एवं इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प तक (आजमगढ़ मार्ग)
25. चौकाघाट से अलईपुरा (सिटी स्टेशन) होते हुए भदऊँ तिराहे तक (मुगलसराय-चन्दौली मार्ग) ।
26. पाण्डेयपुर चौराहे से पहड़िया मण्डी होते हुए पहड़िया चौराहे तक (गाजीपुर मार्ग)

ई) निम्नलिखित सड़क/मार्ग पर व्यवसायिक निर्माण के मासिक किराये की दर 150/- रू0 प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित है :

- 1.मिन्ट हाउस तिराहे से पी0सी0एफ0 प्लाजा होते हुए मुख्य डाकघर तक ।
- 2.भोजूबीर तिराहे से यू0पी0कालेज गेट तक ।
- 3.भोजूबीर मछरहट्टा मन्दिर के पास से शिवमन्दिर चौराहा व सब्जी मण्डी व नवलपुर पानी टंकी होते हुए नटीनीया दाई मन्दिर तक (सिन्धोरा मार्ग तक) ।
- 4.सर्किट हाउस से भोजूबीर तिराहे तक ।
- 5.वाराणसी-जौनपुर मार्ग पर संत अतुलानन्द स्कूल से शिवपुर बाजार व शिवपुर रेलवे क्रॉसिंग होते हुए जौनपुर-वाराणसी बाईपास मार्ग के मिलन बिन्दु तक ।
- 6.पहड़िया चौराहे से पुराना आर.टी.ओ. ऑफिस होते हुए आशापुर चौराहे तक (गाजीपुर मार्ग) तक ।
- 7.आशापुर चौराहा से चन्द्रा चौराहा एवं पुरानापुल होते हुए कज्जाकपुरा रेलवे क्रॉसिंग तक ।
- 8.मछोदरी पार्क से मुकीमगंज एवं प्रहलाद घाट होते हुए काशी स्टेशन तक ।
- 9.डी.ए.वी. कॉलेज गेट से डिगिया एवं जैतपुरा थाना होते हुए ख्वाजापुरा कब्रिस्तान तक ।
10. पाण्डेयपुर चौराहे से चौकाघाट डाटपुल होते हुए तेलियाबाग चौरा माता मन्दिर तक ।
11. कचहरी गोलघर चौराहे से खजुरी तिराहे तक ।
12. आनन्द वाटिका (सर्किट हाउस) से भोजूबीर तिराहे होते हुए संत अतुलानन्द तिराहे तक ।
13. नदेसर चौराहे (बड़ी मस्जिद) से इण्डिया होटल के प्रारम्भिक छोर तक एवं इण्डिया होटल होते हुए मिन्ट हाउस मुख्य मार्ग एवं ताज होटल के पश्चिमी गेट तक ।
14. भिखारीपुर तिराहे से मण्डुआडीह स्टेशन मार्ग पर रेलवे सुरक्षाबल बैरक की बाउण्ड्री तक ।
15. भिखारीपुर तिराहे से चुनार राजमार्ग पर चितईपुर चौराहे तक ।
16. बी0एच0यू0 गेट से सामने घाट पर हनुमान मन्दिर होते हुए ज्योति प्रिन्टर्स दुकान तक ।
17. सामने घाट रोड से गढ़वा रोड पर हनुमान मन्दिर मोड़ से शिवगंगा कालोनी के रास्ते के मोड़ तक ।
18. वाराणसी जौनपुर बाई पास गौतम एनर्जी प्वाइंट (पेट्रोल पम्प) से संत जोसेफ कान्वेन्ट स्कूल के आगे भावना प्राविजन्स एण्ड जनरल स्टोर की दुकान तक अर्थात ओवर ब्रिज के प्रारम्भ तक ।
19. मैदागिन चौराहा से हरिश्चन्द्र डिग्री कालेज होते हुए डी0ए0वी0 कालेज मृत्युंजय महादेव मोड़ तक ।
20. लहरतारा तिराहे से (पुलिस बूथ) से विशाल आटो एजेन्सी होते हुए मडुवाडीह चौराहे तक ।
21. सुन्दरपुर चौराहा से खोजवां दशमी होते हुए कुसुम टाकीज होते हुए भांकुलधारा पोखरा तक ।
22. चाँदपुर चौराहा (जी0टी0 रोड)-सरकारीपुरा मडुवाडीह थाना होते हुए रेलवे क्रॉसिंग मडुवाडीह ।
23. नई सड़क चौराहा से हड़हा होते हुए दालमण्डी रोड (चौक थाने तक) ।

24. लोहटिया तिराहे से अवसानगंज होते हुए जैतपुरा तक ।
25. चॉदपुर चौराहा से लोहता भदोही मार्ग भट्ठी सेन्ट मैरिज हास्पिटल तक ।
26. चुनार रोड चितईपुर चौराहे से कन्दवा होते हुए अमराखैरा चक बाई बास चौराहा तक ।
27. काश्मीरीगंज तिराहे से खोजवां बाजार—गांधी चौक तक ।
28. सुन्दरपुर तिराहे से सरायनन्दन—नबाबगंज होते हुए दयाल टावर दुर्गाकुण्ड तक ।
29. चौक थाना से कचौड़ी गली होते हुए सरस्वती फाटक तक ।
30. ठठेरी बाजार से चौखम्भा होते हुए रंगील दास फाटक तक ।
31. विशेश्वरगंज चौराहे से काल भैरव मंदिर तिराहे तक ।
32. लोहटिया चौराहे से काशीपुरा गोविन्दपुरा होते हुए राजादरवाजा तिराहे तक ।
33. काल भैरव तिराहे से गायघाट होते हुए काशी स्टेशन तक ।
34. मोढैला तिराहे से चुरामनपुर होते हुए रेलवे कासिंग मडुवाडीह तक ।
35. मोढैला मोड़ से चॉदपुर—महेशपुर होते हुए लहरतारा पुलिस बुथ तक ।
36. बुलानाला तिराहे से कर्णघण्टा होते हुए काशीपुरा चौहाहा तक ।
37. काशीपुरा चौराहे होते हुए गोला दीनानाथ चौराहा तक ।
38. पाण्डेयपुर चौराहा से पंचकोशी रोड होते हुए लक्ष्मी जी मंदिर पंचकोशी चौराहा तक ।

उ) 1. मॉल में दुकानों की मासिक दरें 400/— प्रति वर्गमीटर होगी ।

ऊ) उक्त सड़क/मार्ग के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्र में स्थित अन्य सड़क/मार्ग पर व्यवसायिक निर्माण के मासिक किराये की दर 130/— रू० प्रति वर्गमीटर की दर से निर्धारित है ।

॥ इद्ध इयं इ ॥ इहँइ अइह •ईखइइ ४॥ त्रुं इयं उइह अइ ॥ उं  
 अइहः इइयं उं इ ५५५५ ह५० इहु तइ =इइ इहुअइ"त्रंयुं इअ इ इहु ५इयं  
 इ इहुयं यंत्इ ॥ उं" इइत्इ" र्थिं रु

क्रम सं०	नगर निगम के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र/वॉर्ड का नाम	क्षेत्र/वॉर्ड के अन्तर्गत चिन्हित मोहल्लों का नाम	दर		
			पक्की सड़क के किनारे	पत्थर चौका /इन्टरलॉकिंग/ खडंजा	अन्य मार्ग पर
1.	चेतगंज (अ)	1. अन्नपूर्णा नगर कालोनी, 2. कमला नगर, 3. कबीर चौरा/नईबस्ती, 4. गुलाब बाग, 5. बागबरियार सिंह, 6. बादशाह बाग, 7. रमाकांत नगर, 8. रामकटोरा, 9. शास्त्री नगर, 10. लाजपत नगर, 11. जगतगंज, 12. मलदहिया, 13. तेलियाबाग, 14. इंग्लिशिया लाईन, 15. हबीबपुरा, 16. काजीपुरा कलां/खुर्द, 17. चेतगंज, 18. फाटक शेख सलीम, 19. लहुराबीर।	10200 /—	7700 /—	5200 /—
	चेतगंज (ब)	1.बाग कन्हैया लाल, 2. कैलगढ़ कॉलोनी, 3. कालीमहाल, 4. चन्दुआ, 5. पिशाचमोचन, 6. लल्लापुरा, 7. सरायगोवर्धन, 8. सेनपुरा, 9. छित्तपुरा।	9500 /—	7300 /—	5000 /—
	चेतगंज (स)	1. जियापुरा, 2.पितरकुण्डा, 3. हंकार टोला, 4. माताकुण्ड, 5. लहंगपुरा, 6. रघुबीरपुरा	7300 /—	6000 /—	4000 /—
	चेतगंज (द)	अन्य सभी मोहल्ले	7000 /—	5600 /—	3800 /—
2.	सिकरौल (अ)	1. अर्दली बाजार, 2. डी.आई.जी. कॉलोनी/प्रशान्तपुरी कालोनी, 3. पटेल नगर, 4. विन्ध्यवासिनी नगर, 5. पहाड़पुर 6. चुप्पेपुर, 7. भुवनेश्वर नगर कालोनी, 8. टैगोर टाउन, 9. चौकाघाट, 10. बड़ागाँव दोयम, 11. आराजी लाईन, 12. बुद्धविहार कालोनी.	10200 /—	7700 /—	5200 /—
	सिकरौल (ब)	1. अन्धरापुल, 2. गिलट बाजार, 3. इंग्लिशिया लाईन, 4. घौसाबाद, 5. डिठोरी महाल, 6. तेलियाबाग, 7. ताजपुर, 8. नदेसर, 9. पाण्डेयपुर/नईबस्ती, 10. जदीद बाजार, 11. वरुणापुल, 12. भोजबीर, 13. राजाबाजार, 14. सरसौली, 15. हुकुलगंज, 16. खजुरी।	9500 /—	7300 /—	5000 /—
	सिकरौल (स)	1. अनौला, 2. चौका, 3. टकटकपुर, 4. ढेलवरिया, 5. नईबस्ती, 6. नवलपुर (पूर्वी), 7. पियरिया पोखरी, 8. मीरापुर बसही, 9. लच्छीपुरा, 10. शिवपुर उत्तरी व दक्षिणी, 11. सिकरौल।	7300 /—	5500 /—	3800 /—
	सिकरौल (द)	अन्य सभी मोहल्ले	7000 /—	5500 /—	3700 /—

3.	दशाश्वमेध (अ)	1. चन्द्रिका नगर कॉलोनी, 2. कस्तूरबा नगर, 3. मदनपुरा, 4. महमूरगंज, 5. गांधी नगर सिगरा, 6. शास्त्री नगर कॉलोनी सिगरा, 7. संत रघुवर नगर, 8. नया पानदरीबा, 9. पुराना पानदरीबा 9. कोदई चौकी, 10. औरंगाबाद, 11. जंगमबाड़ी, 12. कब्र आशिक माशूक, 13. पार्वती नगर, 14. तुलसीपुर, 15. लक्सा, 16. रामापुरा, 17. माधोपुर, 18. शिवपुरवां, 19. शिवाजी नगर, 20. सिगरा, 21. संपूर्णानन्द नगर कॉलोनी, 22. दशाश्वमेध, 23. हौजकटोरा, 24. सिद्धगिरिबाग, 25. नईबस्ती।	12000 /—	10000 /—	7800 /—
	दशाश्वमेध (ब)	1. कोतवालपुरा, 2. बंगाली टोला, 3. जददूमण्डी, 4. बाजार सदानन्द, 5. पाण्डेय हवेली, 6. मिसिर पोखरा, 7. बड़ादेव, 8. त्रिपुरा भैरवी, 9. मानमंदिर, 10. सोनिया, 11. काजीपुरा खुर्द/कलां, 12. टेढी नीम, 13. लहरतारा।	10500 /—	8500 /—	6500 /—
	दशाश्वमेध (स)	1. अगस्त कुण्डा, 2. केशवपुरा, 3. देवनाथपुरा, 4. खालिसपुरा, 5. गणेश महाल, 6. जगजीवनपुरा, 7. बागरानी भवानी, 8. मीरबाग, 9. मनियारी टोला, 10. राणामहाल, 11. लक्ष्मीकुण्ड, 12. साक्षी विनायक, 13. सूरजकुण्ड।	8400 /—	7000 /—	5500 /—
	दशाश्वमेध (द)	अन्य सभी मोहल्ले	7700 /—	6500 /—	5200 /—
4.	विावपुर (अ)	1. कादीपुर, 2. विावपुर, 3. सुद्धीपुर, 4. भरलाई, 5. नवलपुर, 6. लक्ष्मनपुर, 7. कठवतियो, 8. महेापुर, 9. इन्द्रपुर, 10. नरायनपुर, 11. हटिया	6500 /—	5300 /—	4200 /—
	विावपुर (ब)	1. बसही, 2. परमानन्दपुर, 3. भगतपुर, 4. छतरीपुर, 5. तरना, 6. गनेापुर, 7. लकर, 8. रामकृष्ण चन्द्र नगर व अन्य सभी मोहल्ले	6000 /—	4800 /—	3700 /—
5.	नगवा (अ)	1. सुन्दरपुर, 2. चितईपुर, 3. नेवादा, 4. करौंदी, 5. नगवा, 6. सरायनन्दन, 7. सराय सुरजन, 8. पटिया, 9. बजरडीहा, 10. रानीपुर, 11. ककरमत्ता, 12. जोल्हा	6200 /—	5100 /—	4000 /—
	नगवा (ब)	अन्य सभी मोहल्ले	5400 /—	4600 /—	3800 /—

क्रम सं०	नगर निगम के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र/वॉर्ड का नाम	क्षेत्र/वॉर्ड के अन्तर्गत चिन्हित मोहल्लों का नाम	दर		
			पक्की सड़क के किनारे	पत्थर चौका, खड़न्जा, इण्टरलॉकिंग	अन्य स्थान पर
6.	चौक (अ)	1. कचौड़ी गली, 2. ठठेरी बाजार, 3. ज्ञानवापी, 4. नन्दन साहू लेन, 5. राजा दरवाजा, 6. रेशम कटरा, 7. सराय हड़हा, 8. हड़हा, 9. सुड़िया 10. काशीपुरा पूर्वी, 11. काशीपुरा पश्चिमी, 12. कर्णघण्टा, 13. बेनियां, 14. छोटी पियरी, 15. बड़ी पियरी, 16. पियरी कलां, 17. चौक, 18. गोविन्दपुरा, 19. नन्दन साहू लेन, 20. भूलेटन, 21. नीचीबाग, 22. आसभैरो।	11000	9000/-	7000/-
	चौक (ब)	1. बड़ा गणेश, 2. मच्छरहट्टा, 3. रेशम कटरा, 4. गोला गली, 5. घुघरानी गली, 6. छत्ता तले, 7. कुंज गली 8. गली सेवत राय सत्यव्रत, 9. फाटक सुखलाल साह, 10. गढ़वासी टोला, 11. गोला गली 12. रानीकुआं, 13. फाटक शेख सलीम, 14. हीरापुरा, 15. हौज कटोरा, 16. पटनी टोला, 17. नेपाली खपड़ा, 18. कुन्दीगर टोला, 19. सराय सिताब राय, 20. लाहौरीटोला, 21. चाहमहमा, 22. चपरिया गली, 23. चन्दु हज्जाम की गली, 24. कुंचा प्राणनाथ।	10500/-	8000/-	6000/-
	चौक (स)	अन्य सभी मुहल्ले	8000/-	6600/-	5200/-

7.	कोतवाली (अ)	1. गोला दीनानाथ भीतरी, 2. गोला दीनानाथ बाहरी, 3. विशेश्वरगंज, 4. बुलानाला, 5. मैदागिन, 6. सप्तसागर, 7. हरतीरथ, 8. राजमन्दिर (बूदी महाल), 9. कालभैरव, 10. दारानगर, 11. मछोदरी, 12. अम्बिया मण्डी, 13. ईश्वरगंगी, 14. भूतभैरव नखास, 15. ग्वाल दास साहू लेन, 16. नारायण दीक्षित लेन, 17. गायघाट, 18. मध्यमेश्वर, 19. दुल्ली गड़ही, 20. बड़ा गणेश।	11000/-	9000/-	7000/-
	कोतवाली (ब)	1. कतुआपुरा, 2. कुतुबन शहीद, 3. गली ग्वालदास साह, 4. गायघाट, 5. घासी टोला, 6. दूधविनायक, 7. नरहरपुरा, 8. मछोदरी, 9. राजापुरा, 10. दारानगर,, 11. दुल्ली गड़ही, 12. गणेश दीक्षित लेन, 13. भैरो बाजार, 14. भूतही ईमली, 15. अवसानगंज, 16. नवापुरा, 17. रामघाट, 18. नरायन दीक्षित लेन 19. सिद्धमाता की गली, 20. वृत्तकाल, 21. बाड़ा बंगाली, 22. दादुल चौक, 23. सूतटोला, फाटक रंगील दास, 24. लाला सूर की गली।	8500/-	7000/-	5700/-
	कोतवाली (स)	अन्य सभी मुहल्ले	7500/-	6000/-	5500/-

क्रम सं०	नगर निगम के अन्तर्गत स्थित क्षेत्र/वॉर्ड का नाम	क्षेत्र/वॉर्ड के अन्तर्गत चिन्हित मोहल्लों का नाम	दर		
			पक्की सड़क के किनारे	पत्थर चौका, खड़न्जा, इण्टरलॉकिंग	अन्य स्थान पर
8.	भेलूपुर (अ)	1. विरदोपुर, 2. तुलसीपुर, 3. महमूरगंज 1. अस्सी, 2. कमच्छा 3, जवाहर नगर (हनुमानपुरा), 4. गौरीगंज, 5. दुर्गाकुण्ड, 6. भेलूपुर, 7. भदैंनी, 8. लंका, 9. सोनारपुरा, 10. शिवाला, 11. रविन्द्रपुरी कालोनी 12. नरियां, 13. क्रीमकुण्ड, 14. कबीर नगर, 15. गुरुधाम, 16. साकेत नगर, 17. नगवां ।	10500 /—	7800 /—	5200 /—
	भेलूपुर (ब)	1. अवधगर्बी, 2. नईबाजार, 3. नबाबगंज, 4. पिताम्बरपुरा, 5. बागहाड़ा, 6. बाड़ा गम्भीर सिंह, 7. तिलभाण्डेश्वर, 8. विनायका, 9. आहाता रूहेला, 10. पाण्डेय हवेली 11. संकटमोचन, 12. काश्मीरीगंज, 13. खोजवां, 14. डुमराव बाग कालोनी, 15. मानसरोवर, 16. रेवड़ी तालाब, 17. सुन्दरपुर, 18. सराय नन्दन, 19. फीलखाना, 20. जोल्हा, 21. फरीदपुरा, 22. किरहिया, 23. ड्योड़ियाबीर 24. शंकुलधारा ।	7500 /—	6000 /—	4500 /—
	भेलूपुर (स)	अन्य सभी मुहल्ले	7000 /—	5500 /—	3500 /—
9.	आदमपुर (क)	1. छित्तनपुरा, 2. तेलियाना, 3. तेलियाना मखदूमपुर, 4. तेलियाना गोलगड्डा, 5. त्रिलोचन बाजार, 6. प्रहलाद घाट, 7. भदरू, 8. हनुमान फाटक	6800 /—	5600 /—	4400 /—
	(ख)	1. ओकालेश्वर, 2. कामेश्वर महादेव, 3. कोयला बाजार, 4. तेलियानाला, 5. पठानी टोला, 6. मुकीमगंज, 7. राजघाट, 8. सलेमपुरा,	6500 /—	5300 /—	4200 /—
	(ग)	1. आदमपुर, 2. नवापुरा, 3. हनुमानगंज	6300 /—	5100 /—	4000 /—
	(घ)	1. अमरपुर, 2. कोनिया, 3. कज्जाकपुरा	6200 /—	5000 /—	4000 /—
	(ङ)	1. कायस्थ टोला, 2. चौहट्टा लाल खां, 3. जलालीपुरा, 4. भारद्वाजी टोला, 5. मखदूमपुर, 6. सरैया, 7. सराय हेड	6000 /—	4900 /—	3900 /—

	(च)	1. जुगुल टोला, 2. दीवानगंज, 3. नया महादेव, 4. पाटन दरवाजा, 5. फाटक काजी तकी अली, 6. राजघाट बाजार	5800 /—	4800 /—	3900 /—
	(छ)	1. अंसाराबाद, 2. घसियारी टोला, 3. चन्दूपुरा, 4. बलुआबीर, 5. राजघाट मिल, 6. सदर महाल, 7. सुग्गा गढ़ही	5500 /—	4600 /—	3700 /—
	(ज)	1. आलमपुरा, 2. जेरगुलर, 3. नचनीकुआं, 4. पलंग शहीद, 5. भगतपुरी, 6. सिरखी नन्दू फरिया, 7. हसनपुरा व अन्य सभी मोहल्ले	5000 /—	4200 /—	3500 /—
10.	जैतपुरा (क)	1. अलईपुर, 2. अलईपुर (नक्खीघाट), 3. ईश्वरगंगी (नईबस्ती), 4. कमनगढ़हा, 5. काजीसादुल्लापुरा, 6. चौकाघाट (कॉटन मिल), 7. डिगिया, 8. दोषीपुरा, 9. धूपचण्डी (नाटी इमली)	7000 /—	5500 /—	4400 /—
	(ख)	1. उस्मानपुरा, 2. कटेहर, 3. कमालपुरा, 4. छोहरा, 5. जैतपुरा, 6. बाकराबाद, 7. शेषमन बाजार, 8. हैंसतले	6700 /—	5300 /—	4000 /—
	(ग)	1. उधोपुरा, 2. आगागंज, 3. अलईपुर उत्तरी, 4. कच्चीबाग, 5. बन्धु कच्चीबाग	5500 /—	4700 /—	4000 /—
	(घ)	1. ख्वाजापुरा, 2. गोपालगंज, 3. गोपालबाग, 4. रसूलपुरा, 5. सलारपुरा	5000 /—	4400 /—	3900 /—
	(ङ)	1. अमानुल्लापुरा (मानुल्लापुरा) 2. ओरीपुरा, 3. जमालुदीनपुरा, 4. नवापुरा, 5. बकरिया कुण्ड,, 6. लद्धनपुरा, 7. शक्कर तालाब	5400 /—	4600 /—	3800 /—
	(च)	1. खेत बसनियां, 2. जलालुद्दीनपुरा, 3. जैनपुरा, 4. बसनियां, 5. हुसैनपुरा व अन्य सभी मोहल्ले	5000 /—	4200 /—	3500 /—
11.	सारनाथ (क)	1. अकथा, 2. अनौली, 3. खजुरी, 4. गंज, 5. घुरहूपुर, 6. चकबीही, 7. दौलतपुरा, 8. पाण्डेयपुर, 9. पहड़िया, 10. परशुरामपुर, 11. मवइया, 12. लालपुर अनौला, 13. हाल (नक्खीघाट)	6200 /—	5300 /—	3800 /—
	(ख)	1. आशापुर, 2. खजुही, 3. बरईपुर, 4. रमदत्तपुर, 5. सिंहपुर	6100 /—	4900 /—	3600 /—

(ग)	1. दानियालपुर, 2. नवापुरा, 3. पुलकोहना, 4. रमरेपुर, 5. रूपनपुर उर्फ पैगम्बरपुर	5700/-	4600/-	3300/-
(घ)	1. बेनीपुर, 2. मुगदलपुर व अन्य सभी मोहल्ले	5300/-	4300/-	3200/-

- 2 **वार्ड शिवपुर व वार्ड नगवा में स्थित कृषि भूमि (सप्रमाण) की दरे प्रति 0.001 हे० निम्न प्रकार होगी परन्तु यदि भूमि अकृषिक है तो अकृषिक दर देय होगी। 0.08 हे० से कम भूमि का मूल्यांकन उक्त सूची के सुसंगत कॉलम के अनुसार आगणित कर देय होगा—**
- क) 0.08 हे० (80 एअर) से 0.10 हे० (100 एअर) तक सड़क के किनारे रू० 28,000/-
- ख) 0.08 हे० (80 एअर) से 0.10 हे० (100 एअर) तक अन्य स्थान पर रू० 21,000/-
- ग) 0.10 हे० से अधिक कृषि भूमि होने की दशा में प्रथम 0.10 हे० तक मूल्यांकन उपरोक्तानुसार तथा अवशेष रकबे पर रू० 15,000/- प्रति 0.001 हे० (1 एअर) की दर से देय होगा।
- 3 **नगर निगम सीमा अन्तर्गत (वार्ड शिवपुर व वार्ड नगवा को छोड़कर) के स्थित कृषि भूमि (सप्रमाण) की दरे प्रति 0.001 हे० निम्न प्रकार होगी परन्तु यदि भूमि अकृषिक है तो अकृषिक दर उक्त सूची के सुसंगत कॉलम के अनुरूप देय होगी। 0.08 हे० से कम भूमि का मूल्यांकन उक्त सूची के सुसंगत कॉलम के अनुसार आगणित कर देय होगा—**
- क) 0.08 हे० (80 एअर) से 0.10 हे० (100 एअर) तक सड़क के किनारे रू० 21,000/-
- ख) 0.08 हे० (80 एअर) से 0.10 हे० (100 एअर) तक अन्य स्थान पर रू० 15,500/-
- ग) 0.10 हे० से अधिक कृषि भूमि होने की दशा में प्रथम 0.10 हे० तक मूल्यांकन उपरोक्तानुसार तथा अवशेष रकबे पर सड़क पर रू० 13,000/- प्रति 0.001 हे० (1 एअर) की दर से देय होगा तथा अन्य स्थान पर 12,000/- प्रति 0.001 हे० (1 एअर) की दर से देय होगा।

## 2. अर्द्ध नगरीय क्षेत्र :

क) 1. नगर निगम सीमा से बाहर राजस्व ग्रामों जिनकी सूची नीचे परगनावार दी गयी है की प्रति वर्गमीटर निम्नवत दरें निर्धारित की जाती है :

क्र. सं.	परगना	ग्राम/मुहल्ला	अकृषिक भूमि की दरें		
			पक्की सड़क के किनारे	पत्थर चौका, खडन्जा, इण्टरलाकिंग मार्ग	अन्य स्थान पर
1.	रिवापुर (अ)	1. आगापुर, 2. बरईपुर, 3. रमदत्तपुर, 4. खजुही, 5. सिंहपुर	4100/-	3800/-	3500/-
	(ब)	1. गनेगापुर, 2. छतरीपुर, 3. परमानन्दपुर, 4. तरना	4100/-	3700/-	3200/-
	(स)	1. लालपुर मीरापुर बसही 2. लेढूपुर, 3. होलापुर, 4. दानूपुर, 5. लमही, 6. सोयेपुर, 7. अनौली, 8. भवानीपुर, 9. ऐढे, 10. तिलमापुर, 11. गोइठहा, 12. सलारपुर, 13. लोढान	3900/-	3500/-	3100/-

नोट – उक्त अ और ब के मौजे की दरें वार्ड बाहर प्रमाण पत्र के आधार पर ही लागू होगी।

क) 2. नगर निगम सीमा से बाहर उक्त अर्द्धनगरीय क्षेत्र एवं प्रमुख बाजार के राजस्व ग्रामों की कृषि भूमि की दर प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार होगी।

क-	0.06 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रु0 39000/-
ख-	0.06 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रु0 18000/-
यदि भूमि का रकबा 0.06 हेक्टेयर से अधिक है तो –			
ग-	0.080 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रु0 18100/-
घ-	0.080 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रु0 13700/-
ङ-	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	सड़क के किनारे	रु0 6500/-
च-	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	अन्य स्थान पर	रु0 4350/-

नोट :

- यदि अन्तरित भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर 2 के ग या घ के अनुसार एवं भोश रकबे पर ङ या च के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।
- उपरोक्त सूचीगत ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यावसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रतिवर्ग मीटर निम्न प्रकार होगा :

सड़क के किनारे	रु0 110/- प्रति वर्गमीटर
अन्य स्थानों पर	रु0 80/- प्रति वर्गमीटर

ख) 1. आवास विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्र एवं वि.ि.श्ट बाजार जिनकी सूची नीचे दी गयी है के अन्तर्गत आने वाली भूमि का बाजारी मूल्य रू0 प्रतिवर्गमीटर निम्न प्रकार होगा :

क्र.सं.	परगना	ग्राम/मुहल्ला	अकृशिक भूमि की दरें		
			पक्की सड़क के किनारे	पत्थर चौका, खडन्जा, इण्टरलाकिंग मार्ग	अन्य स्थान पर
1.	वि.वपुर (अ)	1. हीरामनपुर, 2. रसूलगढ, 3. हासिमपुर, 4. पिसौर, 5. मढ़वा, 6. रूस्तमपुर, 7. मुगदरपुर, 8. सन्दहॉ, 9. रसूलपुर, 10. सॉई, 11. वासदेवपुर, 12. चन्दापुर, 13. कानूडीह	3000/-	2700/-	2300/-

ख) 2. उपरोक्त सूची में उल्लिखित ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यावसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रतिवर्ग मीटर निम्न प्रकार होगा :

सड़क के किनारे	रू0 90/- प्रतिवर्ग मीटर
अन्य स्थानों पर	रू0 70/- प्रतिवर्ग मीटर

ग) 3. उपरोक्त सूची में उल्लिखित ग्रामों में कृशि की दरें प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है

क-	0.06 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रू0 24500/-
ख-	0.06 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रू0 18000/-
यदि भूमि का रकबा 0.06 हेक्टेयर से अधिक है तो -			
ग-	0.080 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रू0 18200/-
घ-	0.080 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रू0 13700/-
ङ-	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	सड़क के किनारे	रू0 6500/-
च-	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	अन्य स्थान पर	रू0 4400/-

नोट : यदि अन्तरित भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर 2 के ग या घ के अनुसार एवं भोश रकबे पर ङ या च के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।

- ग) 1. विकास गील ग्रामों/बाजारों जिनकी सूची नीचे परगनावार दी गयी है का मूल्य रूपया प्रतिवर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है।

क्षेत्र का नाम	अकृशिक भूमि की दरें		
	पक्की सड़क के किनारे	पत्थर चौका, खडन्जा, इण्टरलाकिंग मार्ग	अन्य स्थान पर
<b>परगना िवपुर –</b> 1. रघुनाथपुर, 2. सैदपुर, 3. हसनपुर, 4. बनवारीपुर, 5. अकला, 6. पतेरवा, 7. चुप्पेपुर (बक्सड़ा), 8. उदयपुर, 9. घूरीपुर, 10. फरीदपुर, 11. हरीहरपुर, 12. अहमदपुर, 13. हरबल्लभपुर, 14. दानियालपुर, 15. सथवां, 16. हृदयपुर, 17. बकसड़ा, 18. मझमिटियाँ, 19. बहलोलपुर	<b>2500 /–</b>	<b>2300 /–</b>	<b>2000 /–</b>

- ग) 2. उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्राम में स्थित व्यावसायिक भवनों हेतु किराया रू0 40 /– प्रति वर्गमीटर होगा।

- ग) 3. उपरोक्त विकास गील ग्रामों/बाजारों की कृशि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार होगा।

क–	0.06 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रू0 23000 /–
ख–	0.06 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रू0 16500 /–
<b>यदि भूमि का रकबा 0.06 हेक्टेयर से अधिक है तो –</b>			
ग–	0.080 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रू0 13700 /–
घ–	0.080 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रू0 11500 /–
ङ–	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	सड़क के किनारे	रू0 3150 /–
च–	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	अन्य स्थान पर	रू0 2900 /–

**नोट :** यदि अन्तरित भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर ग या घ के अनुसार एवं भोश रकबे पर ङ या च के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा। यह कि 0.06 हेक्टेयर तक कृशि भूमि का मूल्यांकन प्रस्तर क या ख के अनुसार किया जायेगा परन्तु यदि अन्तरित की जाने वाली कृशि भूमि क्रेता की मेड़ मिलान हो या सहखातेदार हो तो 0.06 हेक्टेयर से कम भूमि का अन्तरण होने पर भी उस पर 0.06 हेक्टेयर का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा एवं मूल्यांकन प्रस्तर ग या घ के अनुसार किया जायेगा।

घ) 1. परगना िवपुर के अन्तर्गत उक्त उल्लिखित सूची के अतिरिक्त अन्य सभी राजस्व ग्राम/बाजार की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्षेत्र का नाम	अकृषिक भूमि की दरें		
	पक्की सड़क के किनारे	पत्थर चौका, खडन्जा, इण्टरलाकिंग मार्ग	अन्य स्थान पर
1. इटवां, 2. तारापुर, 3. मिदौरा, 4. फकीरपुर, 5. बड़वापुर, 6. बनियापुर, 7. बलुवा, 8. बालकि जुनपुर, 9. बिपरजोपुर, 10. भगतपुर (सथवाँ), 11. भैसौड़ी, 12. सरसवां व अन्य राजस्व ग्राम	1800/-	1500/-	1300/-

घ) 2. उक्त सूची में उल्लिखित व्यावसायिक भवनों के लिए निर्धारित मासिक किराया प्रतिवर्ग मीटर रू0 35/- निर्धारित किया जाता है।

घ) 3. कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार होगा :

क- 0.06 हेक्टेयर तक सड़क के किनारे रू0 12250/-

ख- 0.06 हेक्टेयर तक अन्य स्थान पर रू0 9000/-

यदि भूमि का रकबा 0.06 हेक्टेयर से अधिक है तो -

ग- 0.080 हेक्टेयर तक सड़क के किनारे रू0 7200/-

घ- 0.080 हेक्टेयर तक अन्य स्थान पर रू0 4500/-

ङ- 0.080 हेक्टेयर से ऊपर सड़क के किनारे रू0 1800/-

च- 0.080 हेक्टेयर से ऊपर अन्य स्थान पर रू0 1450/-

नोट : यदि अन्तरित भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर ग या घ के अनुसार एवं भोश रकबे पर ङ या च के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा। यह कि 0.06 हेक्टेयर तक कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रस्तर क या ख के अनुसार किया जायेगा परन्तु यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेड़ मिलान हो या सहखातेदार हो तो 0.06 हेक्टेयर से कम भूमि का अन्तरण होने पर भी उस पर 0.06 हेक्टेयर का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा एवं मूल्यांकन प्रस्तर ग या घ के अनुसार किया जायेगा।

ड) 1. नगर निगम सीमा से बाहर राजस्व ग्रामों जिनकी सूची नीचे परगनावार दी गयी है की प्रति वर्गमीटर निम्नवत दरें निर्धारित की जाती है :

क्रम सं०	परगना	ग्राम / मुहल्ला			
			पक्की सड़क के किनारे	पत्थर चौका, खड़न्जा, इण्टरलॉकिंग	अन्य स्थान पर
1.	देहात अमानत	1. मडुवाडीह, 2. ककरमत्ता (वार्ड बाहर प्रमाण पत्र होने पर), 3. चितईपुर, (वार्ड बाहर प्रमाण पत्र होने पर), 4. लहरतारा (वार्ड बाहर प्रमाण पत्र होने पर), 5. भिखारीपुर (वार्ड बाहर प्रमाण पत्र होने पर), 6. फुलवरिया, 7. महेशपुर, 8. चाँदपुर, 9. करौंदी (वार्ड बाहर प्रमाण पत्र होने पर), 10. छित्तपुर (बी.एच.यू.), 11. भगवानपुर, 12. शिवदासपुर, 13. सीरगोबर्धनपुर, 14. केशरीपुर, 15. अमराखैरा चक	5200/-	4200	3200/-
2.	देहात अमानत	1. अवलेशपुर, 2. औढ़े, 3. आदित्य नगर, 4. खनांवा (खनांव) 5. खुशीपुर 6. कंचनपुर, 7. कन्दवा, 8. लठिया, 9. रमना 10. जलालीपट्टी, 11. डाफी, 12. नासिरपुर, 13. धन्नीपुर 14. मड़ौली, 15. भट्टी, 16. नुआंव, 17. लोहता, 18. सुसुवाही, 19. केराकतपुर, 20. चुरामनपुर, 21. भुल्लनपुर, 22. भिटारी, 23. मड़ाव, 24. पहाड़ी।	5000/-	4000	3000/-

यदि भूमि का रकबा 0.080 हेक्टेयर से अधिक है तो :-

क.	0.080 हेक्टेयर तक	सड़क के किनारे	रु० 18000/-
ख.	0.080 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रु० 14000/-
ग.	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	सड़क के किनारे	रु० 6500/-
घ.	0.080 हेक्टेयर से ऊपर	अन्य स्थान पर	रु० 5000/-

नोट :- यदि अन्तरिम भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य के 'क' या 'ख' के अनुसार एवं शेष रकबें पर 'ग' या 'घ' के अनुसार मूल्यांकन किया जायेगा।

3. उपरोक्त सूचीगत ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार होगा।

सड़क के किनारे	रु० 85/- प्रति वर्गमीटर
अन्य स्थान पर	रु० 70/- प्रति वर्गमीटर

च) 1 (क) आवास विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्र एवं विशिष्ट बाजार जिनकी सूची नीचे दी गयी है के अन्तर्गत आने वाली भूमि का बाजारी मूल्य रु० प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार होगा :-

क्षेत्र का नाम अ. परगना देहात अमानत	पक्की सड़क के किनारे	पत्थर चौका, खड़न्जा, इण्टरलॉकिंग	अन्य स्थान पर
1. गनेशपुर, 2. लखनपुर, 3. भुवालपुर, छितौनी, 4. नैपुरा कलां, 5. नैपुरा खुर्द, 6. 7. पोगलपुर, 8. विशोखर, 9. भदवर, 10. हरपालपुर, 11. मिसिरपुर, 12. रामपुर, 13. 14. सगहट, 15. पंडितपुर, 16. जफराबाद, 17. नरायनपुर, 18. नरउर, 19. कादीपुर, 20. बड़ागांव अब्बल, 21. सराय डंगरी 22. नरोत्तमपुर कलां, 23. नरोत्तमपुर खुर्द।	3500/-	3000/-	2500/-

च) 1(ख). उक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार होगा।

सड़क के किनारे

रु० 85/- प्रति वर्गमीटर

अन्य स्थान पर

रु० 70/- प्रति वर्गमीटर

च) 1(ग). यदि भूमि का रकबा 0.080 हेक्टेयर से अधिक है तो :-

क. 0.080 हेक्टेयर तक

पक्की सड़क के किनारे

रु० 18000/-

ख. 0.080 हेक्टेयर तक

अन्य स्थान पर

रु० 13000/-

ग. 0.080 हेक्टेयर से ऊपर

पक्की सड़क के किनारे

रु० 6500/-

घ 0.080 हेक्टेयर से ऊपर

अन्य स्थान पर

रु० 4600/-

**नोट :** यदि अन्तरिम भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर 'क' या 'ख' के अनुसार एवं शेष रकबें पर 'ग.' या 'घ' के अनुसार मूल्यांकन कर आगणित किया जायेगा।

छ) 1. विकासशील ग्रामों/बाजारों जिनकी सूची नीचे परगनावार दी गयी है का मूल्य रुपया प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

क्षेत्र का नाम – परगना देहात अमानत	पक्की सड़क के किनारे	पत्थर चौका, खड़न्जा, इण्टरलॉकिंग	अन्य स्थान पर
1. करसड़ा, 2. कुरहुआ, 3. गोविन्दपुर, 4. गजाधरपुर, 5. चन्दापुर, 6. जगमा, 7. टिकरी, 8. डफ्फलपुर, 9. तारापुर, 10. नाथूपुर, 11. परमानन्दपुर, 12. बखानी, 13. बालीपुर, 14. माधोपुर, 15. मीरापुर, 16. मूडादेव, 17. सदलपुर, 18. हासापुर, 19. हरिहरपुर, 20. नीबिया, 21. विशुनपुर, 22. देल्हना, 23. नकाइन, 24. फरीदपुर, 25. महमूदपुर ।	2800 /—	2300 /—	1900 /—

छ) 2. उक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में स्थित व्यवसायिक भवनों हेतु किराया रु0 50/— प्रति वर्गमीटर होगा ।

छ) 3. यदि अन्तरिम भूमि 0.080 हेक्टेयर से अधिक है तो :-

क. 0.080 हेक्टेयर तक	पक्की सड़क के किनारे	रु0 14000 /—
ख. 0.080 हेक्टेयर तक	अन्य स्थान पर	रु0 11000 /—
ग. 0.080 हेक्टेयर से ऊपर	पक्की सड़क के किनारे	रु0 3600 /—
घ. 0.080 हेक्टेयर से ऊपर	अन्य स्थान पर	रु0 3200 /—

नोट :- यदि अन्तरिम भूमि 0.080 हेक्टेयर से ऊपर है तो प्रथम 0.080 हेक्टेयर पर मूल्य प्रस्तर 'क' या 'ख' के अनुसार एवं शेष रकबें पर 'ग.' या 'घ' के अनुसार मूल्यांकन कर आगणिक किया जायेगा ।

ज) 1. परगना देहात अमानत के अन्तर्गत आने वाले अन्य सभी राजस्व ग्रामों की भूमि का मूल्यांकन प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :

क्षेत्र का नाम	पक्की सड़क के किनारे	पत्थर चौका, खड़न्जा, इण्टरलॉकिंग	अन्य स्थान पर
उपरोक्त सूचीगत ग्रामों/बाजारों के अतिरिक्त अन्य राजस्व ग्राम	1300/-	1200	1050/-

ज) 2. व्यवसायिक भवनों के लिए निर्धारित किराया रू0 45/- प्रति वर्गमीटर

ज) 3. यदि अन्तरित भूमि 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से अधिक है तो :

क) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	पक्की सड़क के किनारे	रू0 7000/-
ख) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक	अन्य स्थान पर	रू0 4800/-
ग) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से ऊपर	पक्की सड़क के किनारे	रू0 2400/-
घ) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से ऊपर अन्य स्थान पर		रू0 1800/-

नोट : यदि अन्तरित भूमि 0.080 हे0 (80 एअर) से ऊपर है तो प्रथम 0.080 (80 एअर) पर मूल्य प्रस्तर 'क' या 'ख' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ग' या 'घ' के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा।

झ) 1. नगर निगम सीमा से बाहर आवास विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अर्द्धनगरीय क्षेत्र जिनकी सूची नीचे दी गयी है के अन्तर्गत आने वाली अकृषिक भूमि का मूल्य रू0 प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

क्षेत्र/राजस्व ग्राम का नाम	दर रू0 प्रति वर्गमीटर		
	पक्की सड़क के किनारे	चौका/खड़ंजा के किनारे	अन्य स्थान पर
<b>ब्लॉक चिरईगाँव</b>	<b>3600/-</b>	<b>2900/-</b>	<b>2300/-</b>
<b>अ) परगना कटेहर</b> 1. उकथी, 2. अईली, 3. सरैया नं0 1 व 2, 4. डुबकियाँ, 5. अल्लोपुर, 6. गोपपुर, 7. छांही/व्यासपुर छांही, 8. चुकहां/व्यासपुर चुकहां, 9. व्यासपुर, 10. दानियालपुर, 11. पनिहरी, 12. भगवानपुर कलां, 13. इमिलिया, 14. कटेसर कलां।			
<b>ब) परगना जाल्हूपुर :</b> 1. उमरहां, 2. कमौली, 3. कोटवां, 4. गौराकलां, 5. चिरईगाँव, 6. जाल्हूपुर, 7. नरपतपुर, 8. नरायनपुर, 9. बरियासनपुर, 10. बराई, 11. बभनपुरा, 12. भगतुआ, 13. रेरूआ उर्फ चिरईगाँव, 14. शंकरपुर			

झ) 2. उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में स्थित व्यवसायिक भवनों हेतु मासिक किरायें की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

1. सड़क पर 75/-
2. अन्य स्थान पर 60/-

झ) 3. उपरोक्त सूची के ग्रामों की कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर (1 एअर) निम्न प्रकार होगा :

- |   |                      |             |
|---|----------------------|-------------|
| क) 0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक                           | पक्की सड़क के किनारे | रू0 20000/- |
| ख) 0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक                           | अन्य स्थान पर        | रू0 16000/- |
| यदि अन्तरित भूमि 0.06 हेक्टेयर (60 एअर) से अधिक है तो : |                      |             |
| ग) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक                           | पक्की सड़क के किनारे | रू0 16000/- |
| घ) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक                           | अन्य स्थान पर        | रू0 13000/- |
| ङ) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर                       | पक्की सड़क के किनारे | रू0 7000/-  |
| च) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर                       | अन्य स्थान पर        | रू0 6000/-  |

नोट : 1. यदि अन्तरित भूमि 0.080 हे0 (80 एअर) से उपर है तो प्रथम 0.080 (80 एअर) पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ङ' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा।

- ज) 1. विकासशील ग्रामों जिनकी सूची नीचे दी गयी है का मूल्य रू0 प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :

क्षेत्र / राजस्व ग्राम का नाम	दर रू0 प्रति वर्गमीटर		
	पक्की सड़क के किनारे	चौका/खड़ंगा के किनारे	अन्य स्थान पर
ब्लॉक चिरईगाँव	2750/-	2350/-	1950/-
अ) परगना कटेहर : 1. अमरपट्टी, 2. अवधीपुर, 3. कटेसर खुर्द, 4. कादीपुर खुर्द, 5. कोदोपुर कलां, 6. कोदोपुर खुर्द, 7. खरगीपुर, 8. खुटहना, 9. गौरडीह, 10. चक बासदेवपुर, 11. जयरामपुर, 12. झांझपुर, 13. धनंजयपुर, 14. परनापुर (परानापुर), 15. परबतपुर, 16. बनकट, 17. बर्थरा कलां, 18. बीकापुर, 19. सोनबरसा, 20. शाहपुर, 21. हुसेपुर			
ब) परगना जाल्हपुर : 1. खालिसपुर, 2. खानपुर 3. चौका, 4. फूलपुर, 5. खानपुर, 5. दीनापुर			

- ज) 2. उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में स्थित व्यवसायिक भवनों हेतु मासिक किरायें की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

1. सड़क पर 40/-
2. अन्य स्थान पर 35/-

- ज) 3. उपरोक्त सूची के ग्रामों की कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर (1 एअर) निम्न प्रकार होगा :

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| क) 0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक                           | पक्की सड़क के किनारे रू0 19000/- |
| ख) 0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक                           | अन्य स्थान पर रू0 13000/-        |
| यदि अन्तरित भूमि 0.06 हेक्टेयर (60 एअर) से अधिक है तो : |                                  |
| ग) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक                           | पक्की सड़क के किनारे रू0 11000/- |
| घ) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक                           | अन्य स्थान पर रू0 10000/-        |
| ङ) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर                       | पक्की सड़क के किनारे रू0 4000/-  |
| च) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर                       | अन्य स्थान पर रू0 3500/-         |

नोट : 1. यदि अन्तरित भूमि 0.080 हे0 (80 एअर) से उपर है तो प्रथम 0.080 (80 एअर) पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ङ' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा।

ट) 1. विकासशील ग्रामों जिनकी सूची नीचे दी गयी है का मूल्य रू0 प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :

क्रम सं०	क्षेत्र/राजस्व ग्राम का नाम	दर रू0 प्रति वर्गमीटर		
		पक्की सड़क के किनारे	चौका/खड़जा के किनारे	अन्य स्थान पर
2.	ब्लॉक चिरईगाँव अ) परगना कटेहर 1. अमिलिया, 2. कुडांव, 3. खेतलपुर, 4. गिरधरपुर, 5. गोकुलपुर, 6. जिगना, 7. तरयां, 8. दामोदरपुर, 9. पहड़िया, 10. पूरनपट्टी, 11. पियरी, 12. भुईली, 13. मुढ़ली, 14. रामपुर, 15. रमगढ़वां, 16. सरैया जयरामपुर ब) परगना जाल्हूपुर : 1. आराजी नेवादा, 2. कोची, 3. गौरा खुर्द, 4. गौरा नेवादा, 5. चांदपुर, 6. तांतेपुर, 7. तोहफापुर, 8. नेवादा, 9. पचरांव, 10. प्रहलादपुर, 11. विशुनपुरा, 12. मढ़नी, 13. मिल्कोपुर, 14. मिश्रपुरा (मिसिरपुरा) 15. रमना, 16. रामपुर, 17. राजापुर, 18. रैपुरा, 19. सराय मोहाना, 20. सुल्तानपुर, 21. शिवरामपुर, 22. सीवों, 23. सिंहवार, 24. सरैया	1550 /—	1350 /—	1150 /—

ट) 2. उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में स्थित व्यवसायिक भवनों हेतु मासिक किरायें की दरें निम्नप्रकार निर्धारित की जाती है :

1. सड़क पर 35 /—
2. अन्य स्थान पर 30 /—

ट) 3. उपरोक्त सूची के ग्रामों की कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर (1 एअर) निम्न प्रकार होगा :

- |   |                      |              |
|---|----------------------|--------------|
| क) 0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक                           | पक्की सड़क के किनारे | रू0 10000 /— |
| ख) 0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक                           | अन्य स्थान पर        | रू0 8000 /—  |
| यदि अन्तरित भूमि 0.06 हेक्टेयर (60 एअर) से अधिक है तो : |                      |              |
| ग) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक                           | पक्की सड़क के किनारे | रू0 7000 /—  |
| घ) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक                           | अन्य स्थान पर        | रू0 5000 /—  |
| ङ) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर                       | पक्की सड़क के किनारे | रू0 3000 /—  |
| च) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से उपर                       | अन्य स्थान पर        | रू0 2500 /—  |

नोट : 1. यदि अन्तरित भूमि 0.080 हे0 (80 एअर) से उपर है तो प्रथम 0.080 (80 एअर) पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ङ' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा।

ठ) 1. परगना कटेहर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की अकृषिक भूखण्ड की दरे रू0 प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़को के किनारे	अन्य स्थान पर
1.	1. चौबेपुर कलां, 2. आयर, 3. मुनारी, 4. गोसाईपुर मोहांव,	4400/-	3600/-	2000/-
2.	1. कादीपुर कला, 2. जुझारपट्टी, 3. मंगरहुआ	3300/-	3000/-	1650/-
3.	1. अटेसुआ, 2. बल्लभपुर, 3. दरवेशपुर, 4. बहादुरपुर, 5. भोहर, 6. भुसौला, 7. परानापुर, 8. औरा, 9. भैठौली, 10. राजापुर, 11. हड़ियाडीह,	2800/-	2200/-	1400/-
4.	1. अजांव, 2. आराजी चन्द्रावती, 3. अजोरपट्टी, 4. काकलपुर, 5. कुरौली शिवरामपुर, 6. कादीपुर, 7. कोहांसी, 8. कौवापुर, 9. गहनी, 10. गोसाईपुर (आयर), 11. गोसाईपुर (मंगोलेपुर), 12. चौबेपुर खुर्द, 13. चौबेपुर, 14. चुमकुनी, 15. छितमपुर, 16. टेकारी, 17. टेकुरी, 18. टेकीपुर, 19. डगरूपुर, 20. डिहवां, 21. पाण्डेयपुर, 22. बेनीपुर, 23. बर्था खुर्द, 24. बहरामपुर, 25. बीरनाथीपुर, 26. भभियार, 27. रसूलपुर, 28. मुरली (मुंडेली), 29. रैपुरा, 30. रौनाकलां, 31. रौनाखुर्द, 32. लटौनी, 33. शिवरामपुर, 34. सरैया, 35. हरबंशपुर व अन्य सभी राजस्व ग्राम	2600/-	2000/-	1250/-

ठ) 2. उपरोक्त सूची में अंकित समस्त राजस्व ग्रामों में स्थित व्यवसायिक भवनों हेतु मासिक किरायें की दरें निम्नप्रकार निर्धारित की जाती है :

1. सड़क पर 65/-
2. अन्य स्थान पर 45/-

ठ) 1 ख. परगना कटेहर के अन्तर्गत आने वाली की कृषि भूमि की दरें रू0 में 0.060 हे0 (60 एअर) तक प्रति 0.001 हे0 (1 एअर) में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य मार्ग पर	अन्य स्थान पर
----------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------

1.	1. चौबेपुर कलां, 2. आयर, 3. मुनारी, 4. गोसाईपुर मोहांव,	33000/-	24000/-	13500/-
2.	1. कादीपुर कला, 2. जुझारपट्टी, 3. मंगरहुआ	24000/-	18500/-	11500/-
3.	1. अटेसुआ, 2. बल्लभपुर, 3. दरवेशपुर, 4. बहादुरपुर, 5. भोहर, 6. भुसौला, 7. परानापुर, 8. औरा, 9. भैठौली, 10. राजापुर, 11. हड़ियाडीह,	20000/-	16500/-	10500/-
4.	1. अजांव, 2. आराजी चन्द्रावती, 3. अजोरपट्टी, 4. काकलपुर, 5. कुरौली शिवरामपुर, 6. कादीपुर, 7. कोहांसी, 8. कौवापुर, 9. गहनी, 10. गोसाईपुर (आयर), 11. गोसाईपुर (मंगोलेपुर), 12. चौबेपुर खुर्द, 13. चौबेपुर, 14. चुमकुनी, 15. छितमपुर, 16. टेकारी, 17. टेकुरी, 18. टेकीपुर, 19. डगरूपुर, 20. डिहवां, 21. पाण्डेयपुर, 22. बेनीपुर, 23. बर्थरा खुर्द, 24. बहरामपुर, 25. बीरनाथीपुर, 26. भभियार, 27. रसूलपुर, 28. मुरली (मुंडेली), 29. रैपुरा, 30. रौनाकलां, 31. रौनाखुर्द, 32. लटौनी, 33. शिवरामपुर, 34. सरैया, 35. हरबंशपुर व अन्य सभी राजस्व ग्राम	19500/-	14000/-	10000/-

ठ) 1 ग. परगना कटेहर के अन्तर्गत आने वाली की कृषि भूमि की दरें रू0 में 0.060 हे0 (60 एअर) से 0.10 हे0 (100 एअर) तक प्रति 0.001 हे0 (1 एअर) में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य मार्ग पर	अन्य स्थान पर
1.	1. चौबेपुर कलां, 2. आयर, 3. मुनारी, 4. गोसाईपुर मोहांव,	12500/-	11000/-	4000/-
2.	1. कादीपुर कला, 2. जुझारपट्टी, 3. मंगरहुआ	10000/-	7000/-	4000/-
3.	1. अटेसुआ, 2. बल्लभपुर, 3. दरवेशपुर, 4.	6500/-	5000/-	3500/-

	बहादुरपुर, 5. भोहर, 6. भुसौला, 7. परानापुर, 8. औरा, 9. भैठौली, 10. राजापुर, 11. हड़ियाडीह,			
4.	1. अजांव, 2. आराजी चन्द्रावती, 3. अजोरपट्टी, 4. काकलपुर, 5. कुरौली शिवरामपुर, 6. कादीपुर, 7. कोहांसी, 8. कौवापुर, 9. गहनी, 10. गोसाईपुर (आयर), 11. गोसाईपुर (मंगोलेपुर), 12. चौबेपुर खुर्द, 13. चौबेपुर, 14. चुमकुनी, 15. छितमपुर, 16. टेकारी, 17. टेकुरी, 18. टेकीपुर, 19. डगरूपुर, 20. डिहवां, 21. पाण्डेयपुर, 22. बेनीपुर, 23. बर्थरा खुर्द, 24. बहरामपुर, 25. बीरनाथीपुर, 26. भभियार, 27. रसूलपुर, 28. मुरली (मुंडेली), 29. रैपुरा, 30. रौनाकलां, 31. रौनाखुर्द, 32. लटौनी, 33. शिवरामपुर, 34. सरैया, 35. हरबंशपुर व अन्य सभी राजस्व ग्राम	6500 /—	3200 /—	2500 /—

ठ) 1 घ. परगना कटेहर के अन्तर्गत आने वाली की कृषि भूमि की दरें रू० में 0.10 हे० (100 एअर) के उपर किसी भी सीमा तक अंतरित होने वाली कृषि भूमि की दरे प्रति 0.001 हे० (1 एअर) में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/ प्रान्तीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य मार्ग पर	अन्य स्थान पर
1.	1. चौबेपुर कलां, 2. आयर, 3. मुनारी, 4. गोसाईपुर मोहांव,	11500/-	6500/-	3000/-
2.	1. कादीपुर कला, 2. जुझारपट्टी, 3. मंगरहुआ	9500/-	6500/-	2500/-
3.	1. अटेसुआ, 2. बल्लभपुर, 3. दरवेशपुर, 4. बहादुरपुर, 5. भोहर, 6. भुसौला, 7. परानापुर, 8. औरा, 9. भैठौली, 10. राजापुर, 11. हड़ियाडीह,	7500/-	4800/-	2200/-
4.	1. अजांव, 2. आराजी चन्द्रावती, 3. अजोरपट्टी, 4. काकलपुर, 5. कुरौली शिवरामपुर, 6. कादीपुर, 7. कोहांसी, 8. कौवापुर, 9. गहनी, 10. गोसाईपुर (आयर), 11. गोसाईपुर (मंगोलेपुर), 12. चौबेपुर खुर्द, 13. चौबेपुर, 14. चुमकुनी, 15. छित्तमपुर, 16. टेकारी, 17. टेकुरी, 18. टेकीपुर, 19. डगरूपुर, 20. डिहवां, 21. पाण्डेयपुर, 22. बेनीपुर, 23. बर्थरा खुर्द, 24. बहरामपुर, 25. बीरनाथीपुर, 26. भभियार, 27. रसूलपुर, 28. मुरली (मुंडेली), 29. रैपुरा, 30. रौनाकलां, 31. रौनाखुर्द, 32. लटौनी, 33. शिवरामपुर, 34. सरैया, 35. हरबंशपुर व अन्य सभी राजस्व ग्राम	5800/-	3000/-	2100/-

ड. 1. परगना अठगांवा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों/विशिष्ट ग्रामो की कृषि से भिन्न की दरे प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के	अन्य स्थान पर
1. मुर्दहा, 2. धरमलपुर	5600/-	4200/-	2400/-

2. उपरोक्त राजस्व ग्रामों में अंतरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रति वर्गमीटर निम्न होगी :

पक्की सड़क के किनारे 80/- प्रति वर्गमीटर

अन्य स्थान पर 65/- प्रति वर्गमीटर

3. परगना अठगावां के अन्दर आने वाली परिसम्पत्तियों की 0.001 हे० से 0.060 हेक्टेयर तक कृषि भूमि की दरें प्रति एयर रूपयें में :

ग्राम/विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के किनारे	अन्य स्थान पर
1. मुर्दहा, 2. धरमलपुर	41000/-	31000/-	17000/-

4. 0.060 हेक्टेयर से 0.100 हेक्टेयर तक अन्तरित होने वाली कृषि भूमि की दरें प्रति एयर निम्न प्रकार है :

ग्राम/विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के किनारे	अन्य स्थान पर
1. मुर्दहा, 2. धरमलपुर	15000/-	11500/-	4100/-

5. 0.100 हेक्टेयर के उपर किसी भी सीमा तक अंतरित होने वाली कृषि भूमि की दरें प्रति एयर रू० में निम्न प्रकार है :

ग्राम/विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के किनारे	अन्य स्थान पर
1. मुर्दहा, 2. धरमलपुर	15000/-	7200/-	2000/-

उपरोक्त ग्रामों में स्थित आवासीय भवनों का मूल्यांकन निम्न प्रकार है :

अ) पक्का भवन 4600/- प्रति वर्गमीटर

ब) कच्चा भवन 2800/- प्रति वर्गमीटर।

## 5. ग्रामीण क्षेत्र :

1. क) परगना सुल्तानीपुर के अन्तर्गत आने वाली परिसम्पत्तियों की व्यवसायिक/आवासीय दरे प्रति वर्गमीटर रुपये में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

क्रम सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के	अन्य स्थान पर
	1. दानगंज, 2. पहाड़पुर, 3. कपसा, 4. सुआरी, 5. तरांव 6. भिदुर, 7. दाउदपुर, 8. महमूदपुर, 9. मोहनीडीह, 10. रूपचन्दपुर 11. सुल्तानीपुर, 12. कैथोर।	5500/-	4000/-	2300/-
	अन्य सभी राजस्व ग्राम	3600/-	2100/-	1200/-

1. ख) उपरोक्त सभी ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार होगा :-

पक्की सड़क के किनारें प्रति वर्गमीटर रु० 65/-

अन्य स्थान पर प्रति वर्गमीटर रु० 32/-

1. ग) परगना सुल्तानीपुर के अन्तर्गत अन्तरित होने वाली परिसम्पत्तियों की कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 से 0.060 हेक्टेयर तक रुपये में :

क्र० सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के	अन्य स्थान पर
1.	1. दानगंज, 2. पहाड़पुर, 3. कपसा, 4. सुआरी, 5. तरांव 6. भिदुर, 7. दाउदपुर, 8. महमूदपुर, 9. मोहनीडीह, 10. रूपचन्दपुर, 11. सुल्तानीपुर, 12. कैथोर।	45000/-	34000/-	18000/-
2.	अन्य सभी ग्रामों में	25000/-	17000/-	10500/-

**नोट :** यदि अन्तरित की जाने वाली कृषि भूमि क्रेता की मेड़ मिलान हो या सहखातेदार हो तो 0.06 हेक्टेयर से कम भूमि होने पर भी उस पर 0.06 हेक्टेयर का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा तथा मूल्यांकन तालिका 1 घ) के अनुसार किया जायेगा।

1. घ) 0.060 हेक्टेयर से 0.10 हेक्टेयर तक अन्तरित होने वाली कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हेक्टेयर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

क्र० सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के	अन्य स्थान पर
1.	1. दानगंज, 2. पहाड़पुर, 3. कपसा, 4. सुआरी, 5. तरांव 6. भिदुर, 7. दाउदपुर, 8. महमूदपुर, 9. मोहनीडीह, 10. रूपचन्दपुर, 11. सुल्तानीपुर, 12. कैथोर।	15500/-	14500/-	3600/-
2.	अन्य सभी राजस्व ग्रामों में	7000/-	4800/-	2000/-

1. ङ) 0.10 हेक्टेयर के ऊपर किसी भी सीमा तक अन्तरित होने वाली कृषि भूमि की दरें प्रति 0.001 हेक्टेयर रुपये में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :-

क्र० सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग के किनारे	जनपदीय एवं अन्य पक्की सड़कों के	अन्य स्थान पर
1.	1. दानगंज, 2. पहाड़पुर, 3. कपसा, 4. सुआरी, 5. तरांव 6. भिदुर, 7. दाउदपुर, 8. महमूदपुर, 9. मोहनीडीह, 10. रूपचन्दपुर, 11. सुल्तानीपुर, 12. कैथोर।	15000/-	7000/-	2100/-
2.	अन्य सभी राजस्व ग्रामों में	6500/-	3200/-	1450/-

## परगना कटेहर, जाल्हूपुर

2 क. परगना कटेहर (ब्लॉक चिरईगाँव), परगना जाल्हूपुर के अन्तर्गत आने वाले निम्न राजस्व ग्रामों की भूमि का मूल्यांकन प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है :

क्रम सं०	क्षेत्र / राजस्व ग्राम का नाम	दर रू० प्रति वर्गमीटर		
		पक्की सड़क के किनारे	चौका/खड़ंजा के किनारे	अन्य स्थान पर
1.	अ) परगना कटेहर : 1. पंडितपुर, 2. मुराईपुर उर्फ मुरीदपुर, 3. रामपुर उकथी ब) परगना जाल्हूपुर : 1. अमौली, 2. छितौना, 3. रैमला, 4. शिवदशा, 5. सिरिस्ती	2400/-	2100/-	1800/-

ख. उपरोक्त सूची के क्रमांक 1 में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में स्थित व्यवसायिक भवनो हेतु मासिक किरायें की दरे रू० प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

1. सड़क पर 38/- रू०
2. अन्य स्थान पर 36/- रू०

ग. उपरोक्त सूची के ग्रामों की कृषि भूमि का मूल्यांकन रू० प्रति 0.001 हेक्टेयर (1 एअर) निम्न प्रकार होगा :

क) 0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक पक्की सड़क के किनारे रू० 18000/-

ख) 0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक अन्य स्थान पर रू० 14500/-

यदि अन्तरित भूमि 0.06 हेक्टेयर (60 एअर) से अधिक है तो :

ग) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक पक्की सड़क के किनारे रू० 15500/-

घ) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक अन्य स्थान पर रू० 11000/-

ङ) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से ऊपर पक्की सड़क के किनारे रू० 4500/-

च) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से ऊपर अन्य स्थान पर रू० 3500/-

नोट : 1. यदि अन्तरित भूमि 0.080 हे० (80 एअर) से ऊपर है तो प्रथम 0.080 (80 एअर) पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ङ' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा।

3. क) परगना कटेहर (ब्लॉक चिरईगाँव), परगना जाल्हूपुर के अन्तर्गत आने वाले निम्न राजस्व ग्रामों की अकृषिक भूमि का मूल्यांकन प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं०	क्षेत्र / राजस्व ग्राम का नाम	दर रु० प्रति वर्गमीटर		
		पक्की सड़क के किनारे	चौका/खड़जा के किनारे	अन्य स्थान पर
2.	(ब्लॉक चिरईगाँव) :- अ) परगना कटेहर : बर्थरा गंगबरार ब) परगना जाल्हूपुर : 1. अम्बा, 2. कुकुड़ा, 3. गोबरहां, 4. चक नेवादा, 5. चुहलपुर, 6. छितौनी, 7. देवरिया, 8. धराधर, 9. धोबही, 10. मोकलपुर, 11. मुस्तफाबाद, 12. रामचन्दीपुर, 13. लूठांकलां, 14. लूठाखुर्द, 15. शिवदशा गंगबरार, 16. शिवदशा उपरवार, 17. सरसौल, 18. बकैनी व अन्य राजस्व ग्राम	1300/-	1200/-	1100/-

3. ख. उपरोक्त सूची के क्रमांक 2 में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में स्थित व्यवसायिक भवनो हेतु मासिक किरायें की दरे प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

1. सड़क पर 28/- रु०  
2. अन्य स्थान पर 26/- रु०

3. ग. उपरोक्त सूची के ग्रामों की कृषि भूमि का मूल्यांकन प्रति 0.001 हेक्टेयर (1 एअर) निम्न प्रकार होगा :

- क) 0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक पक्की सड़क के किनारे रु० 10500/-  
ख) 0.060 हेक्टेयर (60 एअर) तक अन्य स्थान पर रु० 7500/-  
यदि अन्तरित भूमि 0.06 हेक्टेयर (60 एअर) से अधिक है तो :  
ग) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक पक्की सड़क के किनारे रु० 8500/-  
घ) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) तक अन्य स्थान पर रु० 5500/-  
ङ) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से ऊपर पक्की सड़क के किनारे रु० 2500/-  
च) 0.080 हेक्टेयर (80 एअर) से ऊपर अन्य स्थान पर रु० 2000/-

नोट : 1. यदि अन्तरित भूमि 0.080 हे० (80 एअर) से ऊपर है तो प्रथम 0.080 (80 एअर) पर मूल्य प्रस्तर 'ग' या 'घ' के अनुसार एवं शेष रकबे पर 'ङ' या 'च' के अनुसार मूल्यांकन आगणित किया जायेगा।

4 क. परगना कटेहर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की अकृषिक भूमि की दरें रू0 प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य मार्ग पर	अन्य स्थान पर
1.	1. चोलापुर, 2. धरसौना, 3. चन्द्रावती, 4. पलही पट्टी, 5. भवानीपुर	4200 /—	3600 /—	2050 /—
2.	1. नियारडीह, 2. धौरहरा, 3. अहिरौली, 4.. गोला, 7. कटारी, 8. कैथी, 9. राजवाड़ी	3400 /—	2800 /—	1650 /—
3.	1. कुर्सियां, 2. गरथौली, 3. ढेरही, 4. देईपुर, 5. बेला, 6. उगापुर, 7. तेवर, 8. रामगांव, 9. जमुनीपुर, 10. गुरवट, 11. भन्दहां कलां, 12. नगपुरा	2800 /—	2300 /—	1350 /—
4.	1. आलम नगर, 2. अजगरा, 3. उधोरामपुर, 4. कुरौली बाबतपुर 5. खरदहां, 6. खनुआन, 7. गड़सरा, 8. गोसाईपुर पठखौली, 9. गौरा गंगबरार, 10. गौरा उपरवार, 11 चक डंगरहा, 12. चाहिन, 13. चकलोवा बेग, 14. जगदीशपुर, 15. टिसौरा, 16 डुडुआ, 17. ढाखा, 18 ताला, 19. ताड़ी, 20. तिलमापुर, 21. देवरिया, 22. देवनाथपुर, 23. दुमितवां, 24. देवानन्दपुर, 25. धरमपुर, 26. नखवां, 27. नथनपुर, 28. नवलशाह कोट, 29. नीमा, 30. नथनपुर, 31. परानापट्टी, 32. पिपरी, 33. पलकहां, 34. परसहा, 35. पठखौली, 36. परागडीह, 37. पौहा, 38. पूरेधूरशाह, 39. बरसडा, 40. बरथौली, 41. बाबतपुर, 42. बेनीपुर, 43. बेनीपुर खुर्द, 44. बेनीपुर कलां, 45. बबियां, 46. भगवतीपुर, 47. भरतपुर, 48. भटपुरवां कलां, 49. भन्दहां खुर्द, 50. भगवानपुर खुर्द, 51. मवईया, 52. महदां, 53. महेशपुर, 54. मोलनापुर, 55. मुंडेरी (मुरेरी), 56. मंगोलेपुर, 57. रजला, 58. रमदत्तहां, 59. रामपुर, 60. लश्करपुर, 61. लक्ष्मीसेनपुर, 62. लालमन कोट, 63. लोहगाजर, 64. शिवदासपुर, 65. सरैया ता0 आयर, 66. सहडीह, 67. सिंहपुर, 68. सुलेमापुर, 69. सुंगुलपुर, 70. श्रीकंठपुर, 71. हथियर कलां, 72. हथियर खुर्द, 73. हाजीपुर, 74. हुलासीपुर व अन्य राजस्व ग्राम	2200 /—	2000 /—	1200 /—

4. ख. उपरोक्त सूची में उल्लिखित राजस्व ग्रामों में अन्तरित होने वाले व्यवसायिक भवनों हेतु निर्धारित मासिक किराया रू0 प्रति वर्गमीटर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

1. सड़क पर 62 /— रू0
2. अन्य स्थान पर 45 /— रू0

4. ग. परगना कटेहर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि की दरें रू0 में 0.060 हे0 (60 एअर) तक प्रति हेक्टेयर 0.001 (1 एअर) निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं०	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य मार्ग पर	अन्य स्थान पर
----------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	---------------

1.	1. चोलापुर, 2. धरसौना, 3. चन्द्रावती, 4. पलही पट्टी, 5. भवानीपुर	33500 /—	24000 /—	14500 /—
2.	1. नयारडीह, 2. धौरहरा, 3. अहिरौली, 4. गोला, 7. कटारी, 8. कैथी, 9. राजवाड़ी	24000 /—	18500 /—	12500 /—
3.	1. कुरियां, 2. गरथौली, 3. ढेरही, 4. देईपुर, 5. बेला, 6. उगापुर, 7. तेवर, 8. रामगांव, 9. जमुनीपुर, 10. गुरवट, 11. भन्दहां कलां, 12. नगपुरा	20000 /—	16500 /—	10500 /—
4.	1. आलम नगर, 2. अजगरा, 3. उधोरामपुर, 4. कुरौली बाबतपुर 5. खरदहां, 6. खनुआन, 7. गड़सरा, 8. गोसाईपुर पठखौली, 9. गौरा गंगबरार, 10. गौरा उपरवार, 11 चक डंगरहा, 12. चाहिन, 13. चकलोवा बेग, 14. जगदीशपुर, 15. टिसौरा, 16 डुडुआ, 17. ढाखा, 18 ताला, 19. ताड़ी, 20. तिलमापुर, 21. देवरिया, 22. देवनाथपुर, 23. दुमितवां, 24. देवानन्दपुर, 25. धरमपुर, 26. नखवां, 27. नथनपुर, 28. नवलशाह कोट, 29. नीमा, 30. नथनपुर, 31. परानापट्टी, 32. पिपरी, 33. पलकहां, 34. परसहा, 35. पठखौली, 36. परागडीह, 37. पौहा, 38. पूरेधूरशाह, 39. बरसड़ा, 40. बरथौली, 41. बाबतपुर, 42. बेनीपुर, 43. बेनीपुर खुर्द, 44. बेनीपुर कलां, 45. बबियांवा, 46. भगवतीपुर, 47. भरतपुर, 48. भटपुरवां कलां, 49. भन्दहां खुर्द, 50. भगवानपुर खुर्द, 51. मवईया, 52. महदां, 53. महेशपुर, 54. मोलनापुर, 55. मुंडेरी (मुरेरी), 56. मंगोलेपुर, 57. रजला, 58. रमदत्तहां, 59. रामपुर, 60. लशकरपुर, 61. लक्ष्मीसेनपुर, 62. लालमन कोट, 63. लोहगाजर, 64. शिवदासपुर, 65. सरैया ता0 आयर, 66. सहडीह, 67. सिंहपुर, 68. सुलेमापुर, 69. सुंगुलपुर, 70. श्रीकंठपुर, 71. हथियर कलां, 72. हथियर खुर्द, 73. हाजीपुर, 74. हुलासीपुर व अन्य राजस्व ग्राम	19500 /—	14000 /—	9500 /—

4. घ. परगना कटेहर के अन्तर्गत आने वाली की कृषि भूमि की दरें रू0 में 0.060 हे0 (60 एअर) से 0.10 हे0 (100 एअर) तक प्रति 0.001 हे0 (1 एअर) में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं0	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य मार्ग पर	अन्य स्थान पर
1.	1. चोलापुर, 2. धरसौना, 3. चन्द्रावती, 4. पलही पट्टी, 5. भवानीपुर	13000 / -	11000 / -	4000 / -
2.	1. नियारडीह, 2. धौरहरा, 3. अहिरौली, 4. गोला, 7. कटारी, 8. कैथी, 9. राजवाड़ी	10000 / -	7000 / -	3800 / -
3.	1. कुर्सियां, 2. गरथौली, 3. ढेरही, 4. देईपुर, 5. बेला, 6. उगापुर, 7. तेवर, 8. रामगांव, 9. जमुनीपुर, 10. गुरवट, 11. भन्दहां कलां, 12. नगपुरा	7200 / -	5200 / -	3500 / -
4.	1. आलम नगर, 2. अजगरा, 3. उधोरामपुर, 4. कुरौली बाबतपुर 5. खरदहां, 6. खनुआन, 7. गड़सरा, 8. गोसाईपुर पठखौली, 9. गौरा गंगबरार, 10. गौरा उपरवार, 11 चक डंगरहा, 12. चाहिन, 13. चकलोवा बेग, 14. जगदीशपुर, 15. टिसौरा, 16. डुडुआ, 17. ढाखा, 18. ताला, 19. ताड़ी, 20. तिलमापुर, 21. देवरिया, 22. देवनाथपुर, 23. दुमितवां, 24. देवानन्दपुर, 25. धरमपुर, 26. नखवां, 27. नथनपुर, 28. नवलशाह कोट, 29. नीमा, 30. नथनपुर, 31. परानापट्टी, 32. पिपरी, 33. पलकहां, 34. परसहा, 35. पठखौली, 36. परागडीह, 37. पौहा, 38. पूरेधूरशाह, 39. बरसड़ा, 40. बरथौली, 41. बाबतपुर, 42. बेनीपुर, 43. बेनीपुर खुर्द, 44. बेनीपुर कलां, 45. बबियांव, 46. भगवतीपुर, 47. भरतपुर, 48. भटपुरवां कलां, 49. भन्दहां खुर्द, 50. भगवानपुर खुर्द, 51. मवईया, 52. महदां, 53. महेशपुर, 54. मोलनापुर, 55. मुंडेरी (मुरेरी), 56. मंगोलेपुर, 57. रजला, 58. रमदत्तहां, 59. रामपुर, 60. लशकरपुर, 61. लक्ष्मीसेनपुर, 62. लालमन कोट, 63. लोहगाजर, 64. शिवदासपुर, 65. सरैया ता0 आयर, 66. सहडीह, 67. सिंहपुर, 68. सुलेमापुर, 69. सुंगुलपुर, 70. श्रीकंटपुर, 71. हथियर कलां, 72. हथियर खुर्द, 73. हाजीपुर, 74. हुलासीपुर व अन्य राजस्व ग्राम	6500 / -	3500 / -	2000 / -

4. ड. परगना कटेहर के अन्तर्गत आने वाली कृषि भूमि की दरें रू0 में 0.10 हे0 (100 एअर) के उपर किसी भी सीमा तक अंतरित होने वाली कृषि भूमि की दरे प्रति 0.001 हे0 (1 एअर) में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है :

क्रम सं0	ग्राम अथवा विशिष्ट बाजार का नाम	राष्ट्रीय/प्रान्तीय राजमार्ग पर	जनपदीय एवं अन्य मार्ग पर	अन्य स्थान पर
1.	1. चोलापुर, 2. धरसौना, 3. चन्द्रावती, 4. पलही पट्टी, 5. भवानीपुर	12000 /—	6500 /—	2500 /—
2.	1. नियारडीह, 2. धौरहरा, 3. अहिरौली, 4.. गोला, 7. कटारी, 8. कैथी, 9. राजवाड़ी	9500 /—	5900 /—	2100 /—
3.	1. कुर्सियां, 2. गरथौली, 3. ढेरही, 4. देईपुर, 5. बेला, 6. उगापुर, 7. तेवर, 8. रामगांव, 9. जमुनीपुर, 10. गुस्वट, 11. भन्दहां कलां, 12. नगपुरा	7000 /—	5000 /—	2000 /—
4.	1. आलम नगर, 2. अजगरा, 3. उधोरामपुर, 4. कुरौली बाबतपुर 5. खरदहां, 6. खनुआन, 7. गडसरा, 8. गोसाईपुर पठखौली, 9. गौरा गंगबरार, 10. गौरा उपरवार, 11 चक डंगरहा, 12. चाहिन, 13. चकलोवा बेग, 14. जगदीशपुर, 15. टिसौरा, 16 डुडुआ, 17. ढाखा, 18 ताला, 19. ताड़ी, 20. तिलमापुर, 21. देवरिया, 22. देवनाथपुर, 23. दुमितवां, 24. देवानन्दपुर, 25. धरमपुर, 26. नखवां, 27. नथनपुर, 28. नवलशाह कोट, 29. नीमा, 30. नथनपुर, 31. परानापट्टी, 32. पिपरी, 33. पलकहां, 34. परसहा, 35. पठखौली, 36. परागडीह, 37. पौहा, 38. पूरेधूरशाह, 39. बरसड़ा, 40. बरथौली, 41. बाबतपुर, 42. बेनीपुर, 43. बेनीपुर खुर्द, 44. बेनीपुर कलां, 45. बबियांवां, 46. भगवतीपुर, 47. भरतपुर, 48. भटपुरवां कलां, 49. भन्दहां खुर्द, 50. भगवानपुर खुर्द, 51. मवईया, 52. महदां, 53. महेशपुर, 54. मोलनापुर, 55. मुंडेरी (मुरेरी), 56. मंगोलेपुर, 57. रजला, 58. रमदत्तहां, 59. रामपुर, 60. लशकरपुर, 61. लक्ष्मीसेनपुर, 62. लालमन कोट, 63. लोहगाजर, 64. शिवदासपुर, 65. सरैया ता0 आयर, 66. सहडीह, 67. सिंहपुर, 68. सुलेमापुर, 69. सुंगुलपुर, 70. श्रीकंठपुर, 71. हथियर कलां, 72. हथियर खुर्द, 73. हाजीपुर, 74. हुलासीपुर व अन्य राजस्व ग्राम	6000 /—	3000 /—	2000 /—

## 6. निर्माण की दरें :

क) नगरीय क्षेत्र/अर्द्धनगरीय क्षेत्र में आवासीय निर्माण की दरें निम्न प्रकार होंगी :

अ) तीन मंजिले तक भवन के लिए	रु0 7000/- प्रति वर्गमीटर
चार मंजिले तक भवन के लिए	रु0 7500/- प्रति वर्गमीटर
पाँच मंजिल तक भवन के लिए	रु0 8000/- प्रति वर्गमीटर
ब) पाँच मंजिल से उपर के भवन के लिए	रु0 10000/- प्रति वर्गमीटर
स) अस्थायी गैर व्यवसायिक एसबेस्टस टीन शेड	रु0 4000/- प्रति वर्गमीटर

ख) ग्रामीण क्षेत्र आवासीय निर्माण की दर :

अ) पक्का भवन	रु0 5000 प्रति वर्गमीटर
ब) कच्चा भवन	रु0 2800 प्रति वर्गमीटर
स) एसबेस्टस शीट	रु0 4000 प्रति वर्गमीटर

## मल्टीस्टोरीडज भवनों में स्थित फ़्लैट का मूल्यांकन—

मल्टीस्टोरीड भवनों में स्थित फ़्लैट के अन्तरण विलेखों में भूमि का मूल्य की गणना विलेख में अंकित विक्रीत अविभाजित अंश के क्षेत्रफल के अनुसार की जायेगी। मल्टीस्टोरीड काम्पलेक्स में निहित भूमि के कुल क्षेत्रफल को सम्बन्धित बिल्डिंग में निर्मित किये गये कवर्ड एरिया से भाग देने के बाद जो भागफल आयेगा, उसमें तथा फ़्लैट के विक्रीत क्षेत्रफल को गुणा करके सम्बन्धित फ़्लैट का भूमि में निहित/विक्रीत अविभाजित अंश निकाला जायेगा अर्थात्

विक्रीत फ़्लैट के हिस्से में आने वाली भूमि का अविभाजित अंश त्र

काम्पलेक्स में निहित भूमि का कुल क्षेत्रफल ग ÷ झैट का विक्रीत क्षेत्रफल

काम्पलेक्स में निर्मित कुल आच्छादित क्षेत्रफल

- नोट—** 1. फ़्लैट का तात्पर्य वही है जैसा कि उ0 प्र0 ओनरशिप ऑफ़ फ़्लैट एक्ट 1975 के अधीन तात्पर्यित है।
2. फ़्लैट से सम्बन्धित विलेख में सम्बन्धित मल्टीस्टोरी काम्पलेक्स में निहित कुल भूमि का क्षेत्रफल तथा उस काम्पलेक्स में कुल निर्मित क्षेत्रफल का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
3. फ़्लैट के विक्रीत निर्मित क्षेत्रफल को सुपर बिल्टअप एरिया के रूप में विक्री न किये जाने की दशा में निर्मित क्षेत्रफल में अविभाजित भूमि के अंश का मूल्य तथा निर्माण के मूल्य के योग में उसका 10 प्रतिशत कामन एरिया के मूल्य के रूप में जोड़कर फ़्लैट का न्यूनतम मूल्य आंकलित किया जायेगा तथा भूतल स्थित फ़्लैट का मूल्य उपरोक्त प्रकार से निकाले गये मूल्य से 10 प्रतिशत अधिक होगा।
4. फ़्लैट का बिल्टअप एरिया तथा कामन बिल्टअप एरिया के अंश का योग सुपर बिल्टअप एरिया माना जायेगा।

ग) कुआँ की दरें निम्न प्रकार होंगी :

अ) पक्का कुआँ ट्यूबवेल	रु0 45000/-
ब) पक्का कुआँ	रु0 40000/-
स) कच्चा कुआँ	रु0 30000/-

7. वृक्षों की दरें निम्न प्रकार होंगी :

इमारती वृक्ष 10 वर्ष तक	रु0 2500/- प्रति वृक्ष
10 से उपर	रु0 12000/- प्रति वृक्ष
फलदार वृक्ष 10 वर्ष तक	रु0 3500/- प्रति वृक्ष
10 वर्ष से उपर	रु0 8500/- प्रति वृक्ष
अन्य वृक्ष 10 वर्ष तक	रु0 2000/- प्रति वृक्ष
अन्य वृक्ष 10 वर्ष के उपर	रु0 3000/- प्रति वृक्ष
बाँस	रु0 60/- प्रति बाँस

9. ईट-भट्ठा हेतु मिट्टी के मूल्य की प्रति 0.001 हे0 (1 एअर) हेतु निर्धारित दर निम्न होगी :

1. नगरीय क्षेत्र में 350/-
2. अर्धनगरीय क्षेत्र में 325/-
3. ग्रामीण क्षेत्र में 300/-

10. औद्योगिक दरें निम्न प्रकार होंगी :

नगरीय, अर्धनगरीय व ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्योगों का मूल्यांकन उस क्षेत्र की निर्धारित आवासीय दर के 60 प्रतिशत पर भूखण्ड का मूल्यांकन व निर्माण का मूल्यांकन निर्धारित आवासीय दर से किया जायेगा। औद्योगिक संस्थान में स्थापित इकाई से तात्पर्य 1500 वर्गमीटर से अधिक भूमि पर स्थापित औद्योगिक इकाई एवं अन्य उत्पादक इकाईयों से है। जैसे- राईस मिल, आटा मिल, कोल्ड स्टोर, ईट भट्ठा एव अन्य उत्पादक इकाईयां आदि।

## : सामान्य निर्देश :

1. सहकारी आवास समिति, आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण एवं बिल्डरो द्वारा निर्मित कॉलोनियों की भूमि का मूल्यांकन पक्की सड़क की दर से किया जायेगा।
2. किसी भी मार्ग/गली पर स्थित कॉर्नर अथवा दो तरफ स्थित मार्ग/गली के अकृषिक भूखण्डो/भवनों का मूल्यांकन यथास्थिति प्रभावी दरों में 10 प्रतिशत तथा पार्क फेसिंग 5 प्रतिशत बढ़ाकर किया जायेगा।
3. ऐसी स्थिति में जहा पर व्यवसायिक निर्माण एवं उससे संलग्न भूमि का अंतरण किया जाता है तो व्यवसायिक निर्माण का मूल्यांकन निर्धारित मासिक किराये के आधार पर एवं संलग्न खुली भूमि का मूल्यांकन निर्धारित अकृषिक दर से 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया जायेगा।
4. पक्की सड़क से तात्पर्य डामर युक्त (ब्लैक टॉप) एवं सीमेन्ट निर्मित मार्ग से है।
5. बहुखडीय मकानों में बेसमेन्ट यदि व्यवसायिक है, तो व्यवसायिक दर से एवं आवासीय है तो मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए मूल्यांकन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. लेखपत्र में साक्षीगण का हस्ताक्षर वर्णन सहित लिखा जायेगा, एवं क्रेता का भी पूर्ण वर्तमान पता लिखना आवश्यक है।
7. पंजीकृत होने वाले लेखपत्रों की स्पष्ट एवं सुपाठ्य ए-4 साईज के इलेक्ट्रोस्टेट प्रति निबन्धन कार्यालय में मिलान के उपरान्त प्रस्तुत की जायेगी।
8. लेखपत्रों में कृषि भूमि हेक्टेयर में तथा अकृषिक भूमि वर्गमीटर में लम्बाई-चौड़ाई के साथ लिखना अनिवार्य है।
9. कृषि भूमि के विक्रय पर 200 मीटर त्रिज्या तक की भूमि का मानचित्र एवं अकृषिक भूमि के अन्तरण पर 50 मीटर तक की त्रिज्या का मानचित्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
10. प्रत्येक लेखपत्र में क्रय करने का प्रयोजन (कृषि/आवासीय/औद्योगिक/व्यवसायिक) लिखना अनिवार्य है।
11. प्रत्येक लेखपत्र में मसविदाकर्ता/वसीका नवीस/टाईपकर्ता का पूर्ण हस्ताक्षर पता सहित लिखना अनिवार्य है।
12. औद्योगिक विकास निगम/औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा उद्योग विभाग के क्षेत्रों में स्थिति परिसम्पत्तियों में गड़ी हुई मशीनरी के अंतरण के समय जिला उद्योग केन्द्र/वैल्युअर आख्या द्वारा आंके गये मूल्य के आधार पर स्टॉम्प शुल्क दे होगा।
13. ऐसे भवन जो आंशिक आवासीय/आंशिक व्यावसायिक हों तो उनमें आवासीय भाग का विक्रय होने की दशा में उसका मूल्यांकन निर्धारित आवासीय दर से 10 प्रतिशत अधिक होगा तथा व्यावसायिक निर्माण का मूल्यांकन व्यावसायिक किराये की दर से नियमानुसार किया जायेगा।
14. यदि कोई आवासीय भवन/भूखण्ड व्यावसायिक गतिविधि/क्षेत्र से संलग्न है तो उसका मूल्यांकन प्रचलित आवासीय/अकृषिक दर से 10 प्रतिशत अधिक होगा।
15. प्लॉट के विक्रय विलेखों में स्पष्ट रूप से प्लॉट पर कोई निर्माण नहीं है का उल्लेख किया जायेगा।
16. यदि किसी स्थान की भू-दर सुनिश्चित नहीं है तो उस स्थान के समीपवर्ती स्थानों में से जिसकी दर उच्चतम होगी अनुमन्य होगी। यदि किसी स्थान की दो दरें सूचीबद्ध हो गयी हो तो तब अधिकतम दर अनुमन्य होगी।
17. दस्तावेज में विक्रेता का पूर्ण पोस्टल पता एवं नागरिकता का उल्लेख आवश्यक होगा।

18. जो कृषि भूमि एक से अधिक मार्गों पर स्थित होगी उसके मूल्यांकन हेतु जिस मार्ग पर दर उच्चतम होगी वहीं सम्पूर्ण भूमि हेतु लागू होगी।
19. स्थापित शिक्षण संस्था के अन्तरण की स्थिति में भूमि का मूल्यांकन उस क्षेत्र के लिए निर्धारित अकृषिक भूमि की दर से तथा आच्छादित क्षेत्रफल का मूल्यांकन प्रचलित आवासीय निर्माण दर से 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया जायेगा।
20. आवासीय निर्माण पर नियमानुसार मूल्य ह्रास देय होगा। यदि किसी आवासीय भवन में बुनकारी का कार्य (हथकरघा) किया जाता है तो उसका मूल्यांकन निर्धारित आवासीय दर से आकलित किया जायेगा।
21. कृषि भूमि यदि किसी आबादी मकान से सटी स्थित हो तो सामान्य कृषि दर से ग्रामीण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अधिक अर्द्धनगरीय क्षेत्र में 30 प्रतिशत अधिक तथा नगरीय क्षेत्र में 35 प्रतिशत अधिक मूल्यांकन किया जायेगा तथा अद्यतन खसरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
22. ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित ढाबे की भूमि का मूल्यांकन सम्बन्धित ग्राम हेतु निर्धारित आवासीय दर से आधे पर किया जायेगा तथा इसके निर्माण का मूल्यांकन आवासीय दर पर किया जायेगा।
23. व्यावसायिक निर्माण का मूल्यांकन इस सूची में अंकित मासिक किराये में 300 का गुणा करते हुये सुसंगत नियमों के अन्तर्गत आगणित किया जायेगा।
24. कृषि भूमि यदि किसी राष्ट्रीय मार्ग, प्रान्तीय मार्ग, जनपदीय मार्ग से सटी है तो उसका मूल्यांकन उस क्षेत्र की सम्बन्धित सड़क पर स्थित कृषि दर से राष्ट्रीय मार्ग पर 30 प्रतिशत पर, प्रान्तीय मार्ग पर 25 प्रतिशत पर तथा जनपदीय मार्ग पर 20 प्रतिशत अधिक की दर से मूल्यांकित किया जायेगा, परन्तु मूल्यांकन सूची उस मार्ग की दरें पृथक से अंकित की गयी हैं वहाँ यह प्रावधान लागू नहीं होगा तथा कार्यालय उपनिबन्धक चतुर्थ में भी उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं होगा।
25. यदि कोई अकृषिक भूखण्ड/भवन चिन्हित मार्ग पर स्थित है तो उसका मूल्यांकन प्रचलित सड़क की दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया जायेगा।

उपनिबन्धक प्रथम, सदर वाराणसी

उपनिबन्धक द्वितीय, सदर वाराणसी

उपनिबन्धक तृतीय, सदर वाराणसी

उपनिबन्धक चतुर्थ, सदर वाराणसी